FORM No. III

APP-A
Crim-I

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालज : **उपखण्ड अधिकारी बांसवाड़ा** मुकाम : **बांसवाड़ा (राज.)**

वादी ..... रकमा ..... बनाम प्रतिवादी ..... बाबूलाल .....

किस्म मुकदमा–(वाद पत्र) ..... 53-209 R.T. Act ..... प्रकरण संख्या– ..... 44 / 2016 .....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
4.11.16	पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर पेश हुई। वादी श्री ..... रकमा ..... पिता ..... मेमजी ..... जाति ..... भील ..... निवासी ..... चीबा ..... द्वारा वाद–पत्र अन्तर्गत धारा ..... 53-209 R.T. Act ..... विरूद्ध प्रतिवादीगण श्री ..... बाबूलाल ..... पिता ..... केसरा ..... जाति ..... भील ..... निवासी ..... चीबा ..... के पेश किया गया। प्रतिवादीगण के नाम सम्मन जारी कर पत्रावली दिनांक ..... 17.11.16 ..... को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी बांसवाड़ा	
17.11.16	पत्रावली पेश हुई। P.O. सा अवकाश पर होने से पत्रावली दिनांक 22.12.16 को पेश हो।	
22.12.16	पत्रावली पेश हुई। श्रीमान P.O. साहब अवकाश पर होने से पत्रावली दि० 5.1.17 को पेश किया जावे।	
5.1.17	पुकारा थाना लिखने के प्रार्थना श्री [illegible] ने बयानात जाता पेश किया जो [illegible] किया गया। पत्रावली दि० 19.1.17 को पेश किया जावे।	

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Regar
Date: 2022.12.27 12:53:41 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
9-5-2022	पत्रावली पेश। वकुलाम वकील। श्रीमान जी को साहब काजु कार्य व्यवस्था में व्यस्त है। पत्रावली पूर्व निर्देशानुसार वास्ते तलबी RAA न्यायालय उदयपुर को दिनांक 25-5-2022 को पेश हो। नोटिस	
14/5/22	पत्रावली राष्ट्रीय/मासिक लोक अदालत में पेश हुई पत्राचरान अनु./पत्राचरान के अनु.तो से समझौता नहीं की जा सकी, अतः पत्रावली संबंधित न्यायालय को भेजी जावे। सदस्य, राष्ट्रीय/मासिक लोक अदालत, व्यय	
25.5.22	पत्रावली पेश हुई वकुलाम अनुपस्थित पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 4.7.22 को पेश हो।	
21.6.22	पत्रावली वादी द्वारा अधिम पुनर्वाद हेतु प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र स्वीकार किये जाने उपरान्त पेश हुई प्रार्थीवादी के प्रार्थना-पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना-पत्र में वादी एवं प्रतिवादी गण ने निवेदन किया की हम उभयपक्षगण में आपसी रावीनामा का सहमती से बटवारा करवा लिया है। अतः हम विवाधीन वाद में आगे किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं चाहते हैं निवेदन है इस्तगसा प्रकरण को वादिये रावीनामा ड्रोप फरमाया जावे। मैंने उभयपक्षगण को सुना उभयपक्षगण ने अवगत कराया की हमने ग्रामीण गांव के सेवा अभियान फोरोम्प कैम्प के दौरान तहसीलदार के समक्ष उपस्थित होकर सहमती से बटवारा करवा लिया है।	राम मनोहर जीवनलाल प्रेमचन्द जगदीश प. खेड़ावत

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	बटवारा करवा लिया जाने से प्रकरण में अब कोई कार्यवाही उपयोगी नहीं है। प्रकरण में सहमती से बटवारा होने के कारण वादीगण रावीनामा इसी दिन पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल कुशादे हो कर से बाद की वाकर दायित्व समाप्त हो। निर्णय लिखाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी, बांसवाड़ा	राम मनोहर जीवनलाल प्रेमचन्द जगदीश प. खेड़ावत

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chanda Regar
Date: 2022.12.27 12:53:41 IST
Reason: SelfAttested